भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Regional Office (Central Region)

सत्यमेव जयते

Nature Protects if She is Protected

केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर–एच, अलीगंज, लखनऊ–226024

Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow- 226024, Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025

Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoefrolko@gmail.com

पत्र संख्या– 8बी/यू.पी./06/05/2017/एफ.सी. |151 | दिनांकः 14-7-17

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (वन संरक्षण),
वन विभाग, 17 राणा प्रताप मार्ग,
लखनऊ, उ0 प्र0।

<u>ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या–**FP/UP/Road/14208/2015**</u>

विषयः अलीगढ़ में विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत नानऊ से दादऊ मार्ग (MDR-82W) किमी0 01 से 30 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु प्रभावित 10.184 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 1434 वृक्षों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भः मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश का पत्रांक– 2238/अलीगढ़/14208/2015, दिनांक– 02.05.2017

महोदय,

उपरोक्त विषय पर संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें। प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक– 13.01.2017 द्वारा आवश्यक सूचनाएं चाही गयी थी जिसकी अनुपालन आख्या मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उ0 प्र0 के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गयी है। प्रस्तुत अनुपालना पर विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि चाही गयी सूचना की अनुपालन आख्या अधूरी प्रस्तुत की गयी है। विषयांकित प्रकरण को इस माह में आहूत की जाने वाली क्षेत्रीय सशक्त समिति की बैठक में विचार हेतु सम्मिलित किया जाएगा, अतः बैठक से पूर्व निम्न सूचनाएं शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें ताकि आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके–

1. इस कार्यालय द्वारा चाही गयी सूचना की प्रस्तुत अनुपालना आख्या ऑनलाईन अपलोड नही की गयी है।
2. बिन्दुवार चाही गयी सूचना में बिन्दु संख्या–3 एवं 4 की पूर्ण अनुपालन आख्या नही प्रस्तुत की गयी है।
3. भूसंदर्भित मानचित्र की .kml file बिना किसी प्राधिकृत अधिकारी के अग्रसारित किये बिना प्रस्तुत की गयी है।

भवदीय

13/7/17

(बृजेन्द्र स्वरूप)
वन संरक्षक(के.)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. विशेष सचिव (वन), वन अनुभाग, 6वां तल, बापु भवन, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़, उ0 प्र0।
3. अधिशासी अभियन्ता, विश्व बैंक परियोजना वृत्त, लोक निर्माण विभाग, मुरादाबाद, उ0 प्र0।
4. तकनीकी अधिकारी, पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
5. आदेश पत्रावली

(बृजेन्द्र स्वरूप)
वन संरक्षक {केन्द्रीय}

सर्वोच्च प्राथमिकता

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

पत्रांक– 136 /अलीगढ़/14208/2015, दिनांक, लखनऊ, जुलाई 20 , 2017

प्रतिलिपि वन संरक्षक, अलीगढ़ को इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार के निर्देशानुसार बिन्दुवार सूचना एवं अभिलेख सी0डी0 सहित इस कार्यालय को विशेष पत्रवाहक द्वारा उपलब्ध कराने का कष्ट करें। **प्रकरण पर इस माह होने वाली क्षेत्रीय सशक्त समिति की बैठक में विचार किया जाना है। अतः त्वरित कार्यवाही अपेक्षित है।**

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, अलीगढ़ को इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार के निर्देशानुसार बिन्दुवार सूचना एवं अभिलेख वन संरक्षक, अलीगढ़ को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, विश्व बैंक परियोजना वृत्त, लोक निर्माण विभाग, अलीगढ़ को इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार के निर्देशानुसार बिन्दुवार सूचना एवं अभिलेख प्रभागीय निदेशक, अलीगढ़ को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(डा0 प्रशान्त कुमार वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उ0प्र0, लखनऊ।